

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१६

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ८ का संशोधन.
३. धारा ९ का संशोधन.
४. धारा ९-ख का अतःस्थापन
५. धारा ३९ का संशोधन.
६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १४ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१६ है. संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ८ में, उप-धारा (५) का लोप किया जाए. धारा ८ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा ९ में, उप-धारा (१) में, शब्द “तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निरीक्षण रिपोर्ट, यदि कोई हो” का लोप किया जाए. धारा ९ का संशोधन.
४. मूल अधिनियम की धारा ९-क के पश्चात्, अध्याय-दो में, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ९-ख का अंतःस्थापन.

“९-ख. निजी विश्वविद्यालय किन्हीं कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व निरीक्षण के लिये विनियामक आयोग को विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण के पश्चात् विनियामक आयोग पाई गई किसी न्यूनता के बारे में उक्त विश्वविद्यालय को सूचित करेगा और उसे ठीक करने के लिये उसे एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा. विनियामक आयोग ऐसी कक्षाओं अथवा पाठ्यक्रमों को चलाने की अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि उस न्यूनता को ठीक नहीं कर दिया जाता.”
५. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, उपधारा (१) में, प्रारंभ में, निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:— धारा ३९ का संशोधन.

“निजी विश्वविद्यालय के निगमन के पश्चात् किन्तु प्रथम पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के छह माह के भीतर निजी विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी रीति में, जैसी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित की जाए, निरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत करे.”
६. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक-१ सन् २०१६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. निरसन तथा व्यावृत्ति.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) अधिनियमित करके, मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग स्थापित किया गया था.

२. देश की आर्थिक प्रगति तथा कौशल आधारित रोजगार की मांग में वृद्धि के कारण उच्च शिक्षा परम्परागत शिक्षा की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है. अतः यह स्वाभाविक है कि स्थापित किए जा रहे नवीन निजी विश्वविद्यालयों में अधिकतर पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रकृति के हैं, जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, औषध निर्माण विज्ञान, प्रबंधन, दंत चिकित्सा, सह-चिकित्सा, परिचर्या, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन आदि. इन पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न विनियामक निकाय हैं, जो पाठ्यक्रम और उसकी विषय वस्तु, अपेक्षित अधोसंरचना, अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारिवृंद उनकी संख्या तथा अर्हताएं, प्रवेश के लिए पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया, फीस और ऐसे ही अन्य विषयों के लिए मानक स्थापित करते हैं. इसके साथ ही राज्य में निजी निवेशकों को बढ़ावा देने तथा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने और राज्य में मानकों के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उक्त अधिनियम की धारा ८, ९, ३९ को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है. नई धारा ९-ख भी अन्तः स्थापित की गई है.

३. संशोधन का प्रयोजन, छात्रों के हित में तथा शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निजी विश्वविद्यालय, इसकी अधोसंरचना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संपूर्ण मूल्यांकन करना है.

४. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१६ (क्रमांक १ सन् २०१६) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपान्तरण के लाया जाए.

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १६ जुलाई २०१६

जयभान सिंह पवैया

भारसाधक सदस्य.

